16.08.2019– अधिवक्ता अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स उपस्थित । बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील तहसीलदार सिकराय के आदेश दिनांक 19.02.2019 प्रकरण उनवानी श्योनाथ बनाम नाथू आदि रिमाण्ड नामान्तरकरण सं. 267 ग्राम बहरावण्डा तहसील सिकराय में पारित आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय में पेश की गयी है । जिसे माननीय न्यायालय को सुनने का अधिकार नही है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 19.02.2019 अ.धा. 135 (2) रा.भू.रा. अधिनियम के प्रावधानानुसार विवादित प्रकरण है । नामा0 सं. 267 के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपील सं. 3/18 को न्यायालय उप जिला कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 22.06.2018 द्वारा तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड फरमाया। उप जिला कलक्टर सिकराय के निर्णय के विरूद्ध इन्ही अपीलान्ट्स द्वारा अपील सं. 49/2018 माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर में प्रस्तुत की जिसे उक्त न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.12.2018 के द्वारा निरस्त फरमाया था । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावे ।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि न्यायालय माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 04.12.2018 के विरूद्ध उनवानी कंचन बनाम श्योनाथ वगै0 निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे विचाराधीन निगरानी के निर्णय तक माननीय न्यायालय में विचाराधीन अपील की कार्यवाही स्थगित रखी जावे ।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनमन किया गया व पत्रावली को अवलोकन किया । उक्त विवादग्रस्त नामां. सं. 267 ग्राम बहरावण्डा के बाबत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी विचाराधीन होना अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के दौरान कथन किया है। ऐसी स्थित में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन निगरानी के निर्णय तक इस न्यायालय में विचाराधीन अपील की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

अति० जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official